

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल
आदेश

भोपाल, दिनांक २० जनवरी, 2022

क्रमांक एफ 8-1 / 2022 / नियम / चार, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-1 / 2019 / नियम / चार दिनांक 12 दिसम्बर, 2019 के द्वारा कर्मचारी आयोग का गठन किया गया था। आयोग का कार्यकाल एक वर्ष नियत था।
2/ म.प्र. शासन के आदेश क्रमांक एफ 8-6 / 2020 / 1564 / 2020 / नियम / चार दिनांक 17 दिसम्बर, 2020 से कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में एक वर्ष अर्थात् दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 तक की वृद्धि गई थी। राज्य शासन द्वारा कर्मचारी आयोग के कार्यकाल में दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 से एक वर्ष की वृद्धि की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के. श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक २० जनवरी, 2022

पृष्ठा. क्रमांक एफ 8-1/2022/नियम/चार

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल, के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट/ 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
5. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
6. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
8. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाखा, मध्यप्रदेश
9. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
10. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
11. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
12. समस्त संभागीय/जिला पेंशन अधिकारी, मध्यप्रदेश
13. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के अधिकारी (स्थायी सूची अनुसार)
14. निर्देश नस्ती
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग